

ई- पाठशाला

12th HISTORY

संविधान का
निर्माण

ONESHOT

पूरा चैप्टर एक ही क्लास में...



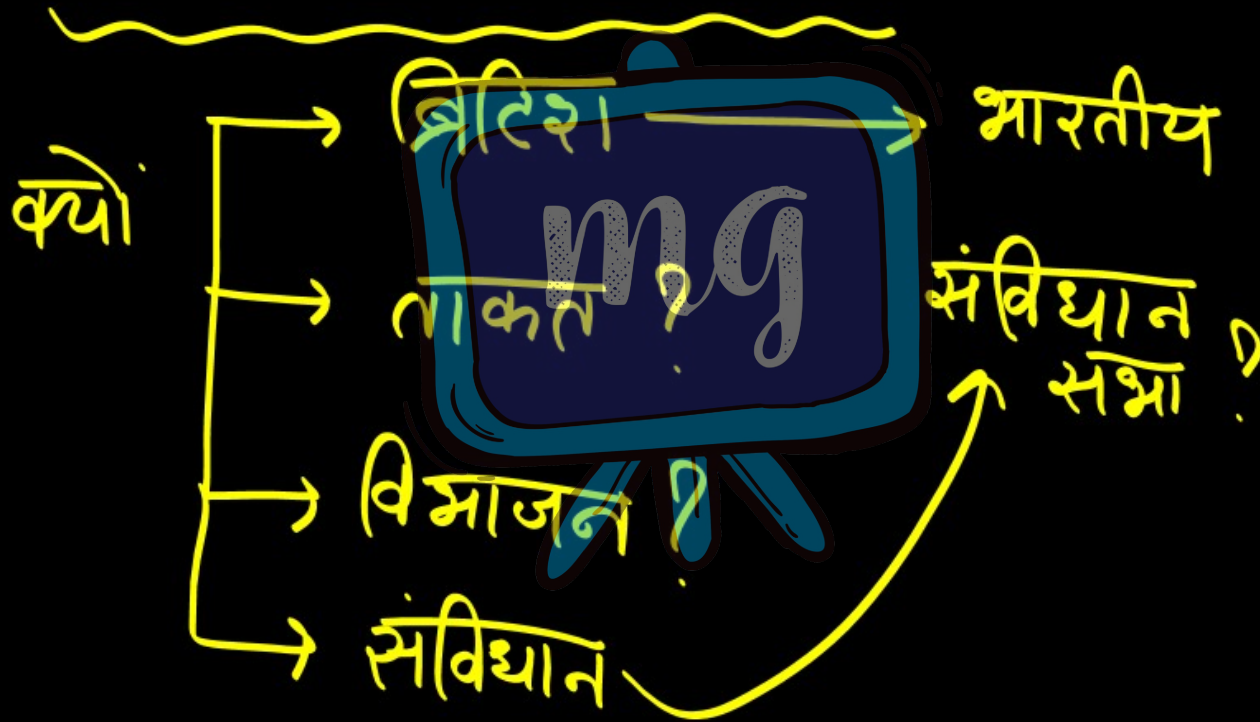
07 OCT 2026 ||



03:30 PM



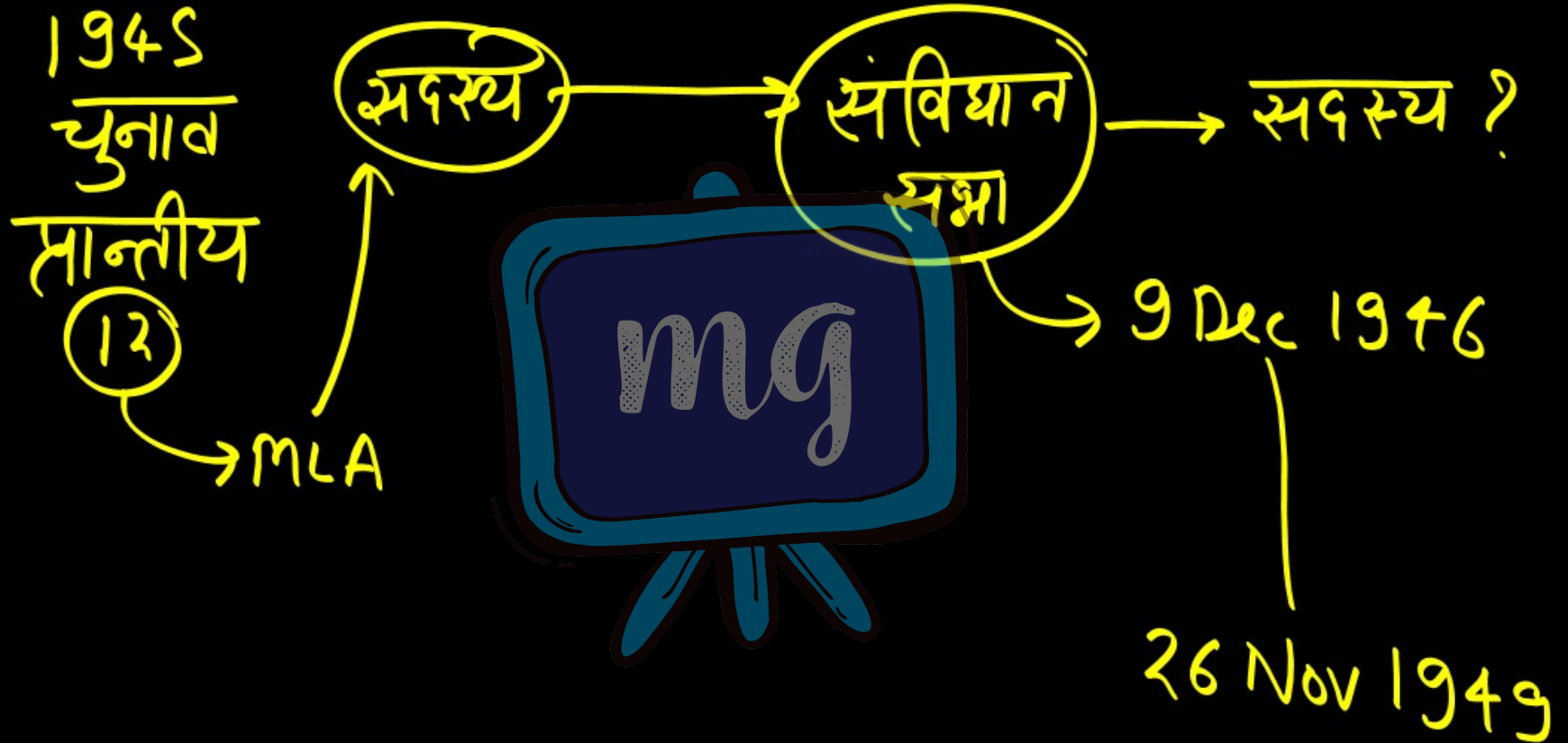
1946 - कैबिनेट मिशन → AV + PL + SC.

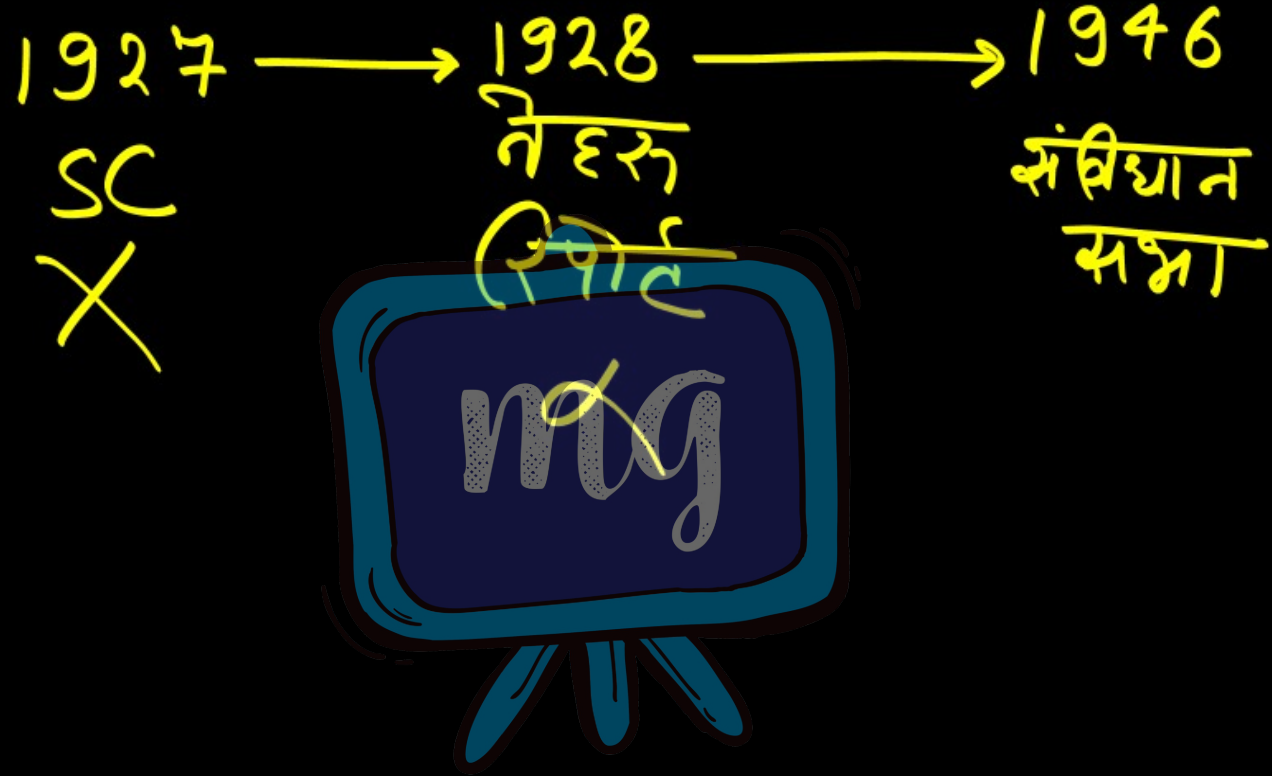


1946- कैबिनेट मिशन

→ संविधान सभा









संविधान सौंपते हुए बी. आर. अम्बेडकर और राजेन्द्र प्रसाद एक दूसरे को बधाई देते हुए।

संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- ❖ संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई।
- ❖ मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था।
- ❖ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया।
- ❖ दूसरी बैठक - 11 दिसम्बर, 1946 को हुई।
- ❖ डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया।

उद्देश्य
प्रस्ताव

- ❖ तीसरी बैठक – 13 दिसम्बर, 1946 को हुई।
- ❖ जवाहर लाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
- ❖ सदस्य = 389
- ❖ प्रारूप/मसौदा समिति के अध्यक्ष – बी.आर. अम्बेडकर
- ❖ संवैधानिक सलाहकार – बी.एन. राव

60 देश
↳ मसौदा

चर्चा

मसौदा

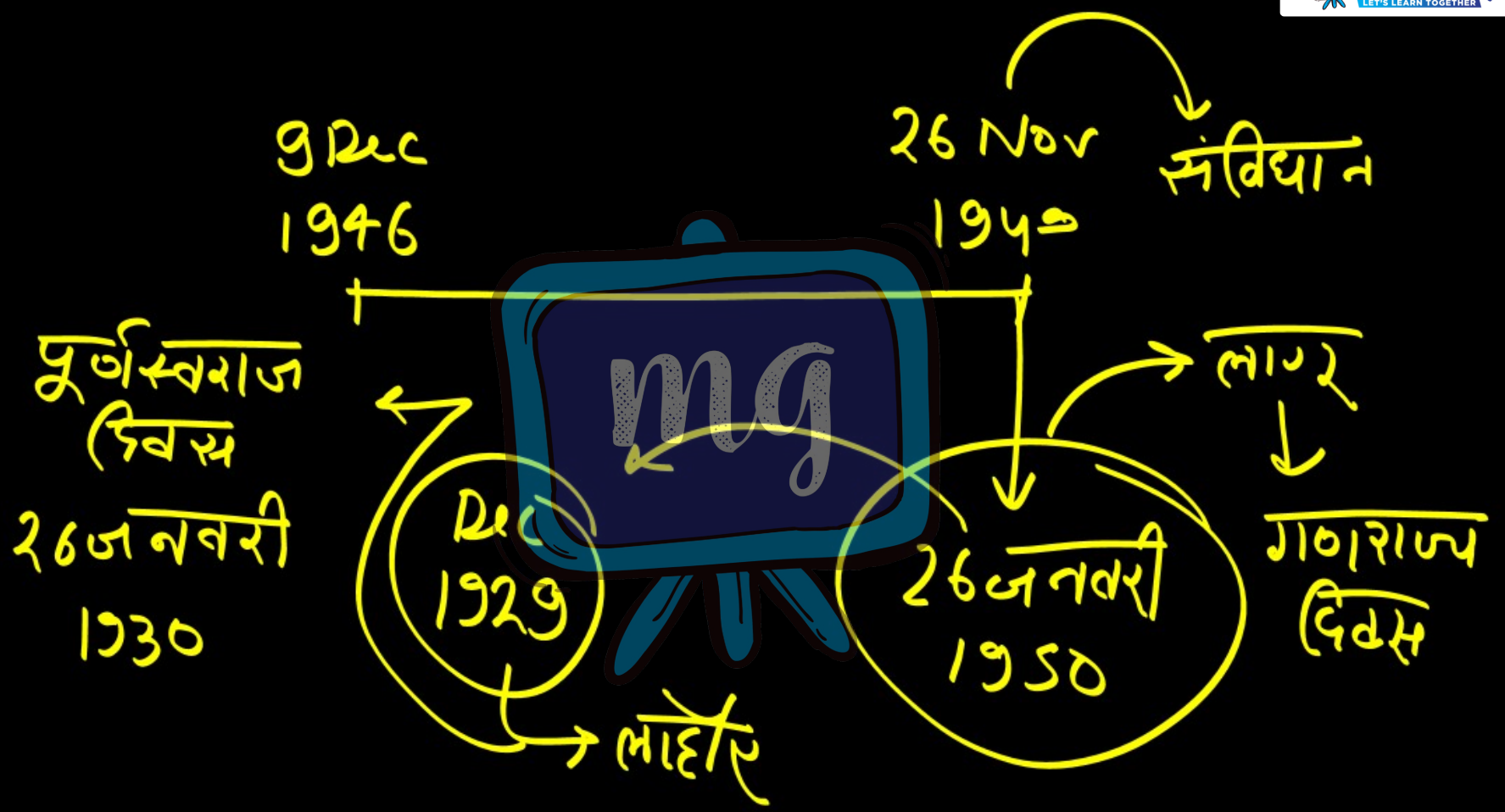
❖ संविधान को बनने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा।

❖ संविधान बनकर पूरा हुआ – 26 नवम्बर, 1949

❖ संविधान लागू या अधिनियमित किया गया – 26 जनवरी, 1950

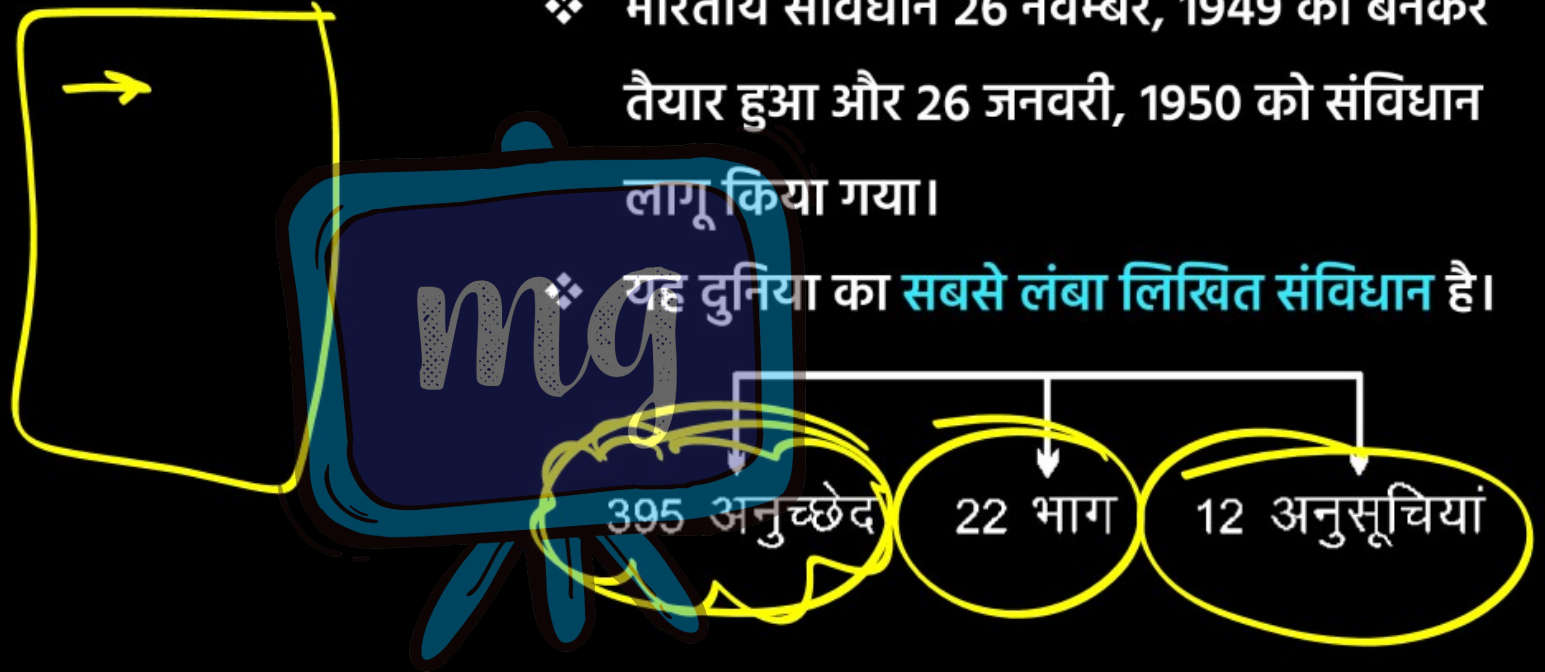
❖ अंतरिम सरकार के प्रमुख थे – जवाहर लाल नेहरू **PM**

❖ मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई – 13 अक्टूबर, 1946



❖ भारतीय संविधान 26 नवम्बर, 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू किया गया।

❖ यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है।

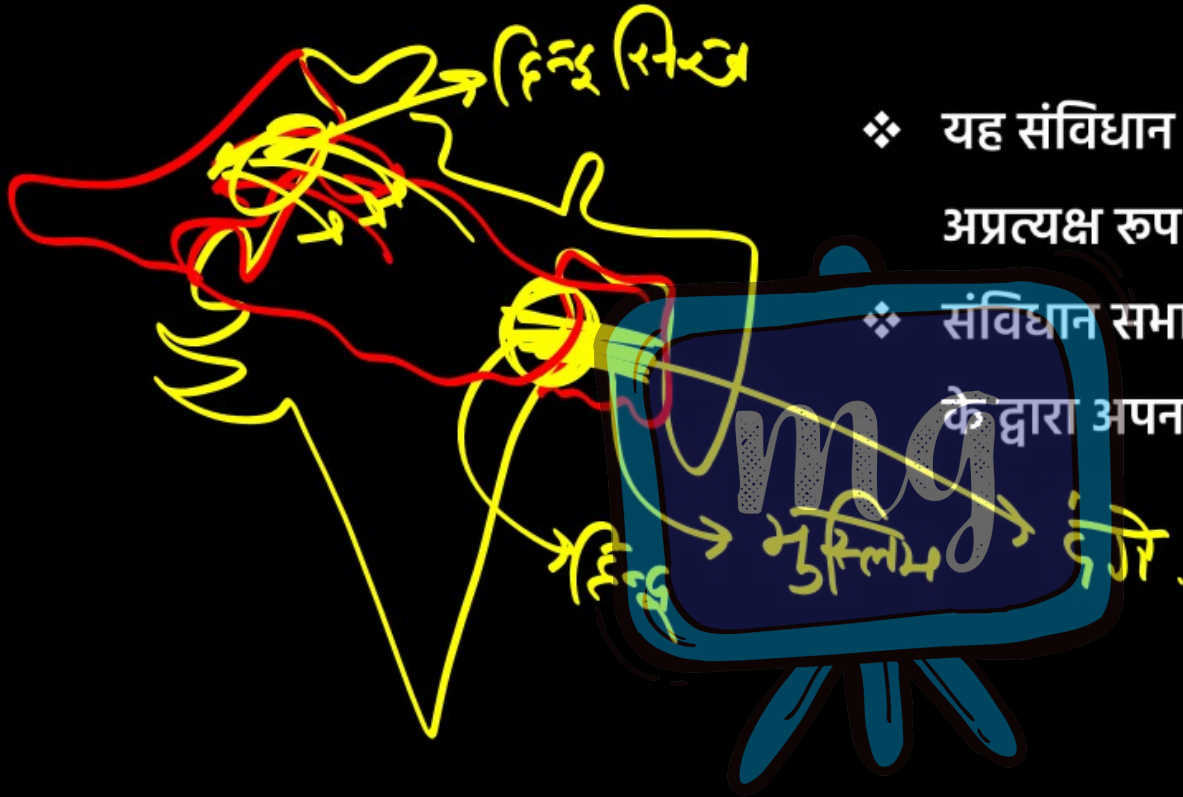


❖ संविधान को बनने में लगभग **2 वर्ष 11 माह और 18 दिन** का समय लगा।

❖ संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था।

❖ संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष – सच्चिदानंद सिन्हा थे।

❖ संविधान सभा के अध्यक्ष – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे।



- ❖ यह संविधान सभा भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी।
- ❖ संविधान सभा विभिन्न समितियों और उपसमितियों के द्वारा अपना काम करती थी।

① आजादी

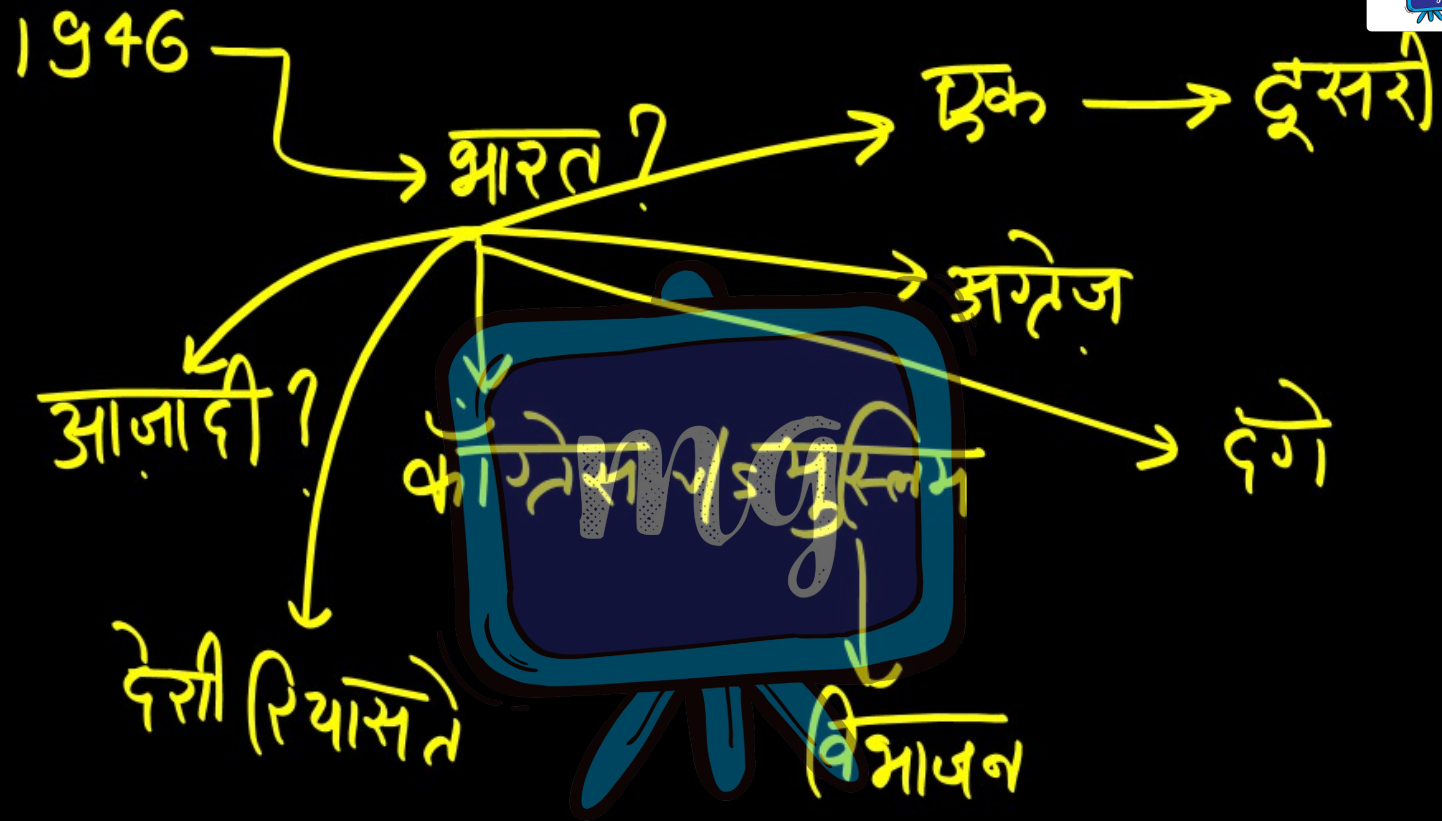
② विभाजन

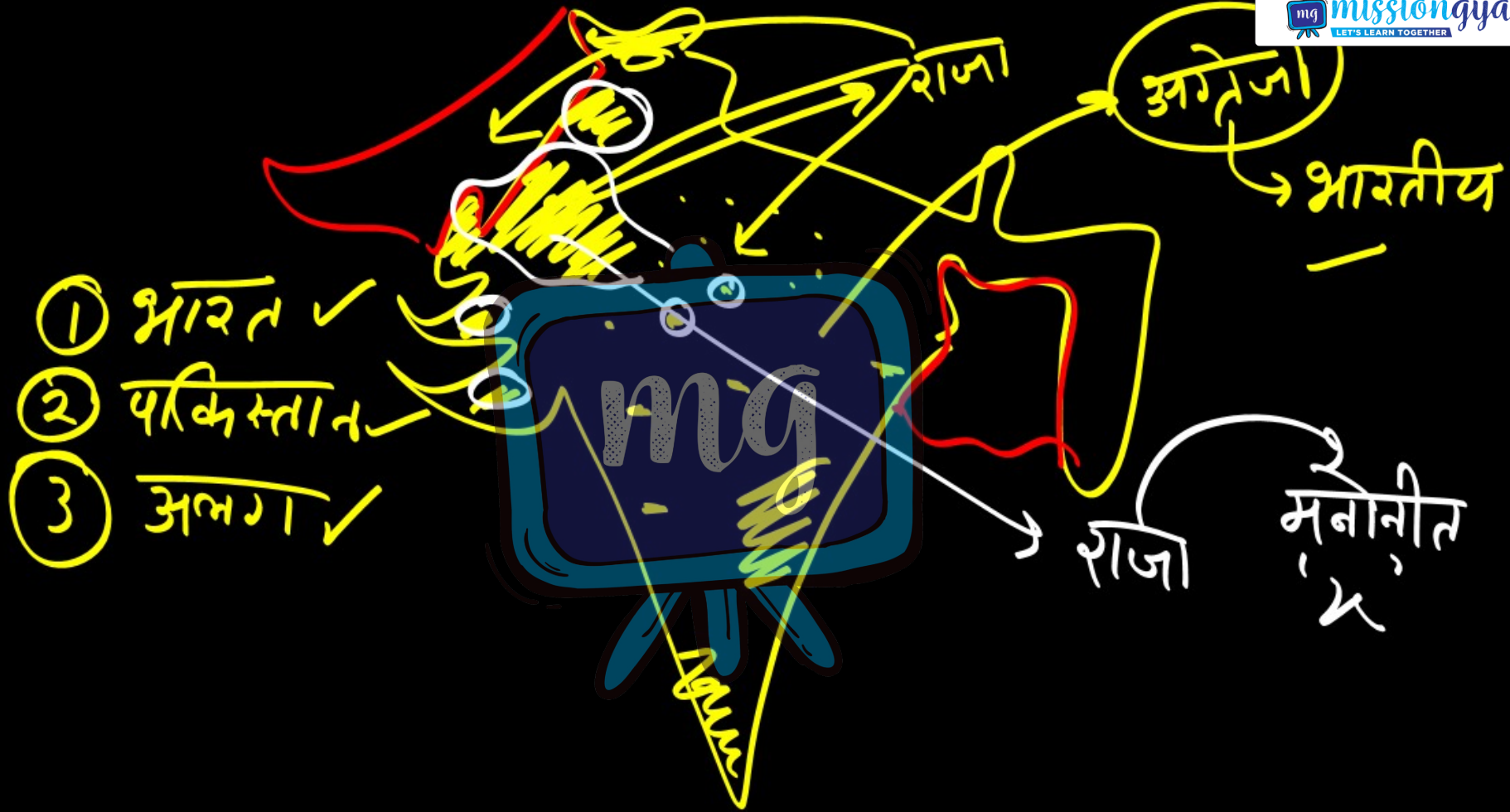
भारत

पाकिस्तान

उथल-पुथल का दौर

- ❖ संविधान निर्माण से पहले के साल काफी उथल-पुथल वाले थे।
- ❖ 15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद तो हुआ लेकिन साथ ही देश को विभाजित भी कर दिया गया था।
- ❖ अगस्त, 1946 में कलकत्ता से शुरू हुई हिंसा पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी।
- ❖ करोड़ों शरणार्थी यहां से वहां जा रहे थे।
- ❖ इनमें से बहुत सारे कमी मंजिल तक नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में ही मारे गए।





देशी रियासतों की समस्या :-

- ❖ नवजात राष्ट्र के सामने एक और गंभीर समस्या
देशी रियासतों को लेकर थी।
- ❖ भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग एक तिहाई भू-
भाग नवाबों और राजाओं के नियंत्रण में था।
- ❖ आजादी के समय भारत में कुल 562 छोटी-बड़ी
रियासतें थी।
- ❖ ब्रिटिश शासन में उनके पास अपने राज्यों को जैसे
चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफी
आजादी थी।

Q. संविधान का परिचय ?

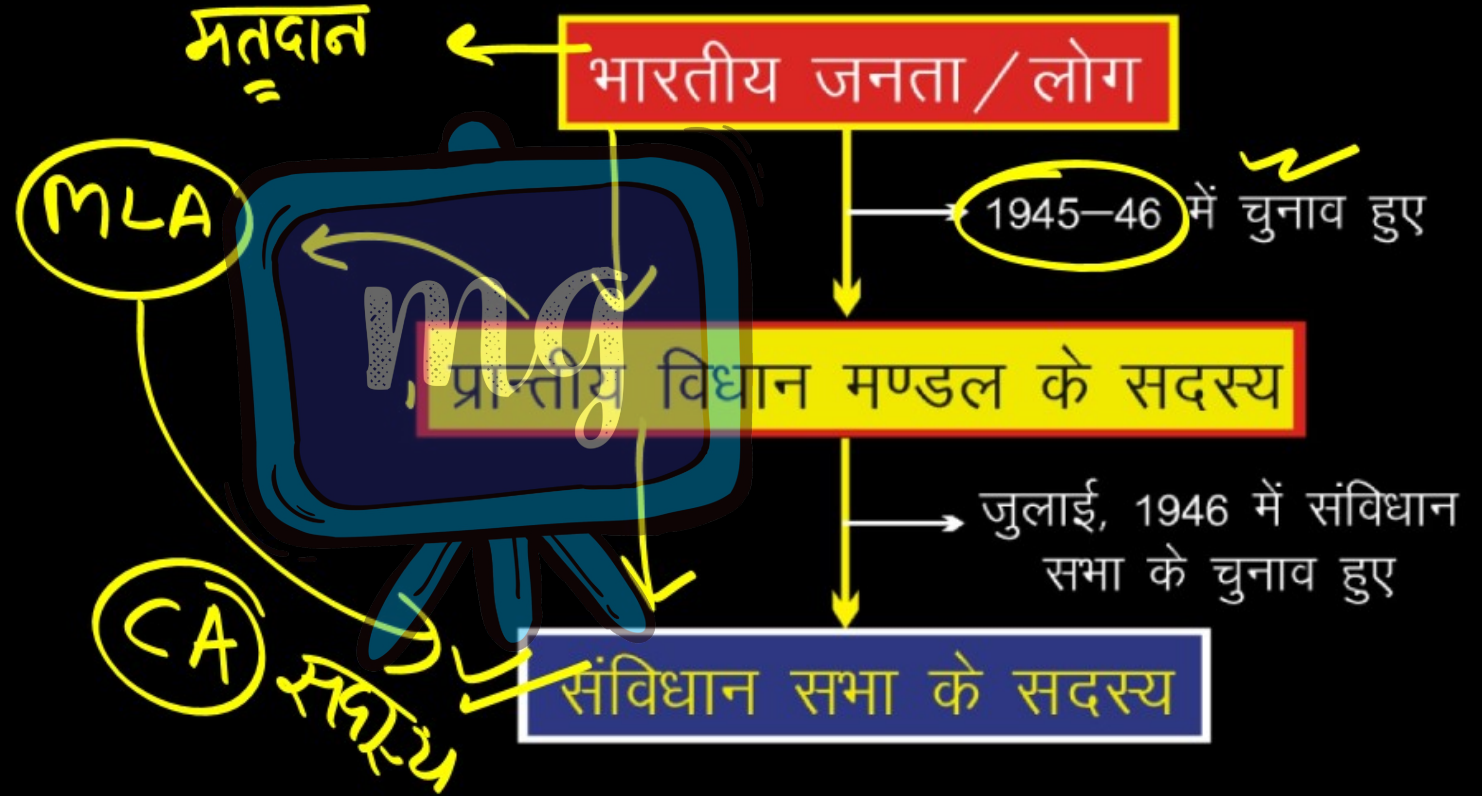
Q. संविधान निर्माण के समय

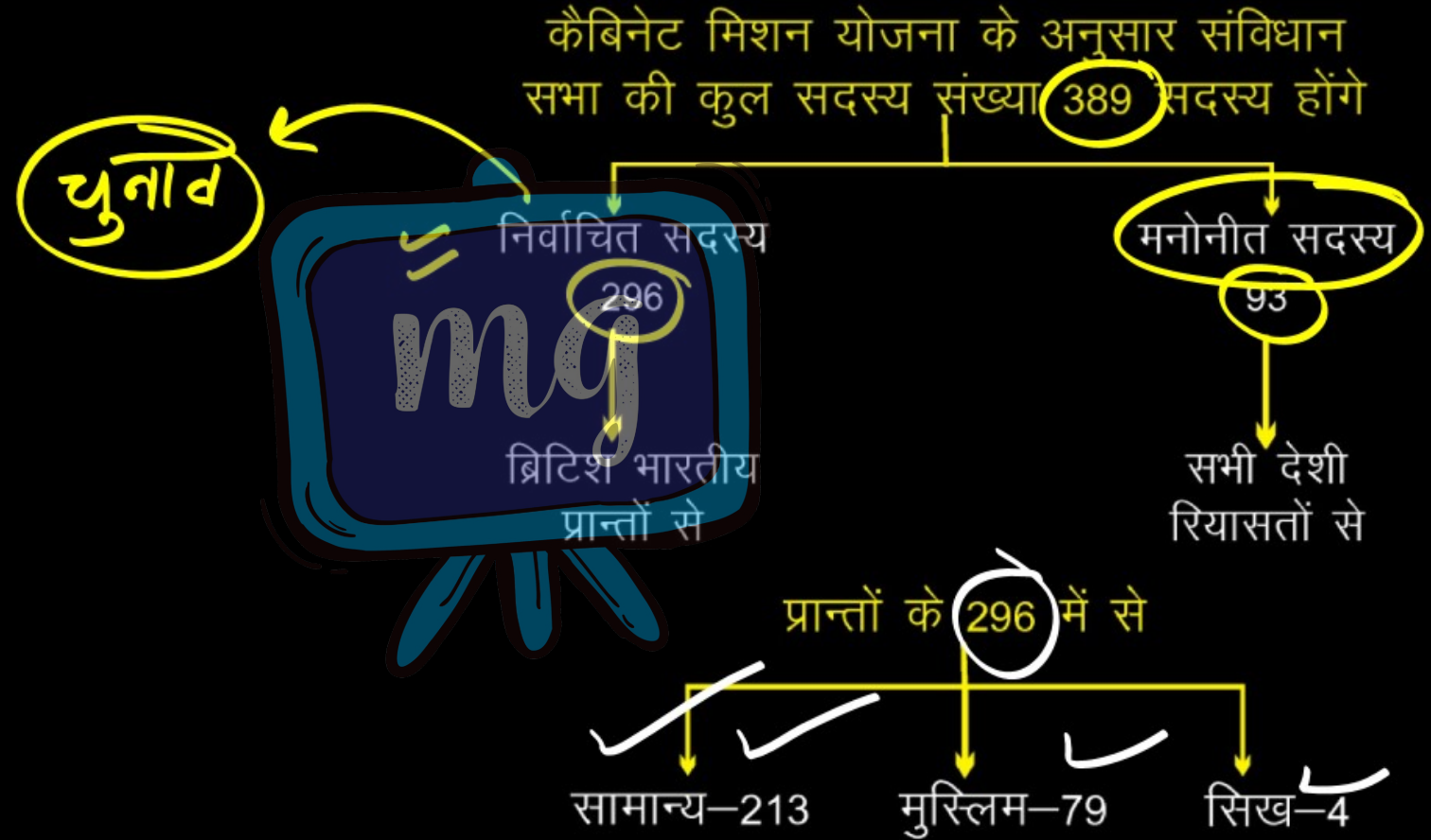
उथल-पुथल का दौर रहा, क्यों ?

Q. भारत में आजादी के बाद देशी
रिथासों की क्या समस्या थी ?

संविधान सभा का गठन

- ❖ भारतीय संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन योजना - 1946 के अनुसार हुआ। -
- ❖ संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था।
- ❖ प्रांतीय संसदों (विधानमंडलों) के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था।
- ❖ अतः संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारतीय लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था।



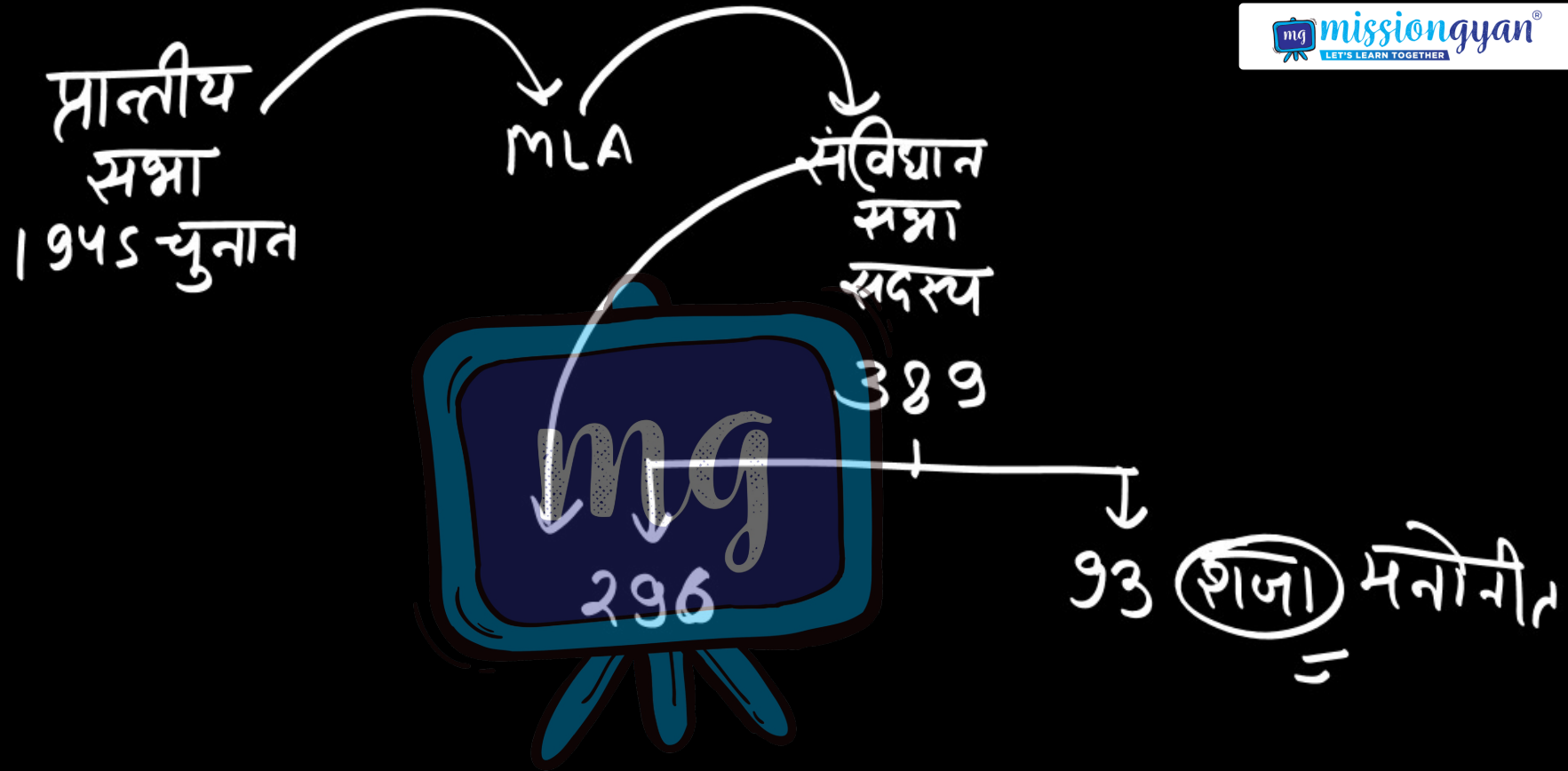




पार्टी	—	सीटें
कांग्रेस	—	208
मुस्लिम लीग	—	73
अन्य	—	15
कुल सीटें	—	296

❖ अतः नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी।

❖ अतः मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया और अलग संविधान सभा की मांग की। साथ ही पृथक देश पाकिस्तान की मांग भी जारी रही।



❖ संविधान सभा में सभी कांग्रेस सदस्य भी एकमत नहीं थे।

❖ कई मुद्दों पर सदस्यों के भिन्न मत थे -

✓ समाजवाद

✓ जमींदारी व्यवस्था

✓ धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता

❖ लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद-विवाद करना और मतभेदों पर बात-चीत कर समझौतों की खोज करना सीख गये थे।

❖ संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी।

❖ जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी।

❖ सार्वजनिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किये जाते थे।

➤ भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे।

➤ धार्मिक अल्प संख्यक अपने हित सुरक्षित करवाना चाहते थे।

➤ दलित जाति शोषण के अन्त की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे।

❖ संविधान सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती थी।

मुख्य आवाजें

1. जवाहरलाल नेहरू
2. वल्लभभाई पटेल
3. राजेन्द्र प्रसाद
4. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
5. के. एम. मुंशी
6. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर

- ❖ नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव भी रखा।
- ❖ पटेल ने पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण कार्य किया।
- ❖ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
- ❖ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
- ❖ प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे।
- ❖ के. एम. मुंशी व अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
- ❖ बी. एन. राव संवैधानिक सलाहकार और एच. सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे।

प्रस्तावना

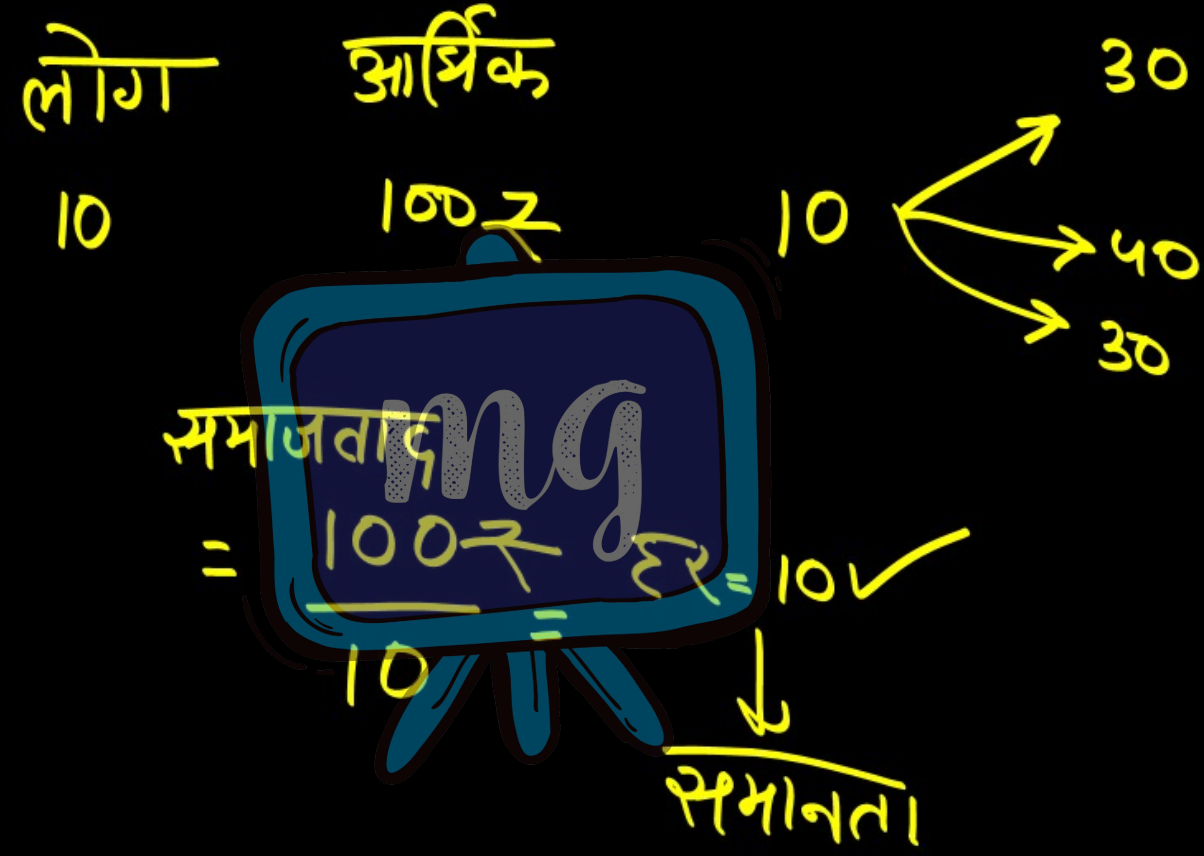
उद्देश्य प्रस्ताव

- ❖ 13 दिसम्बर 1946 - जवाहरलाल नेहरू : भारत - स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य
- ❖ सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया।
- ❖ अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के संरक्षण का प्रावधान रखा गया।
- ❖ भारतीय संविधान भारतीय परिस्थितियों और जनता की इच्छा के अनुसार बनेगा।

- ❖ भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक-दूसरे में समावेश किया जाये और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाये।
- ❖ नेहरू जी इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है - इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए।

लोगों की इच्छा

पूंजीवाद	समाजवाद
ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें धनिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर श्रमिकों का शोषण करता है।	समाजवादी व्यवस्था में धन-सम्पत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होता है।
इस व्यवस्था में सरकार की बाजार को नियंत्रित करने में कोई खास भूमिका नहीं होती है।	समाजवादी निजी सम्पत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है।



लोगों की इच्छा

संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी :-

- ❖ सोमनाथ लाहिड़ी के अनुसार संविधान सभा पर औपनिवेशिक प्रभाव था।
- ❖ नेहरू के अनुसार सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। ✓
- ❖ संविधान सभा जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती थी।

पृथक निर्वाचिका की समस्या

मुसलमान नेता

मुसलमान
मतदाता

अन्य
मतदाता



❖ मद्रास के बी. पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया :-

- अल्पसंख्यकों को हटाया नहीं जा सकता।
- उन्हें सद्भाव से जीने का अवसर मिलना चाहिए।
- उनका पूरा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो।
- उनकी आवाज सुनी जाए।
- उनके विचारों को महत्व दिया जाए।

- बहादुर ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया।

- उनका मानना था कि गैर-मुसलमान उनकी जरूरतें नहीं समझ सकते।

- राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया।

- पृथक निर्वाचिका पर तीखी बहस हुई।

- ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी।

सरदार पटेल ने कहा था कि – पृथक निर्वाचिका
एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में
समा चुका है। यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक
समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के
टुकड़े कर दिये, रक्तपात को जन्म दिया और देश के
विभाजन का कारण बनी।

“क्या तुम इस देश में शान्ति चाहते हो ? अगर चाहते
हो तो इसे फौरन छोड़ दो।”

Gyan Shower

अधिकारों का निर्धारण

➤ पृथक निर्वाचिका की समस्या:

❑ पृथक निर्वाचिका: अलग चुनाव प्रणाली

पक्ष	विपक्ष
➤ 27 अगस्त 1947: बी. पोंकर बहादुर (मद्रास) ❖ अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो 	➤ बी. पोंकर बहादुर के तर्कों से राष्ट्रवादी भड़क गए ❖ पृथक निर्वाचिका: लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल 

↓

1949 तक: संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया

गोविन्द वल्लभ पंत

- गोविन्द वल्लभ पंत ने पृथक निर्वाचिका का विरोध किया
- इसे राष्ट्र और अल्पसंख्यकों दोनों के लिए खतरनाक बताया
- कहा कि इससे अल्पसंख्यक स्थायी रूप से अलग हो जाएंगे
- बहुसंख्यकों का कर्तव्य है कि वे अल्पसंख्यकों की समस्याएँ समझें

- ❖ उद्देश्य: एकीकृत राष्ट्र का निर्माण।
- ❖ सभी समुदायों को राष्ट्र में शामिल करना था।
- ❖ सभी मुसलमान पृथक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे।
- ❖ बेगम ऐजाज रसूल ने भी इसका समर्थन नहीं किया।
- ❖ 1949 तक अधिकांश सदस्य मान गए कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है।

केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है

किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी -विचारों वाले एन.जी. रंगा ने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे-कुचले लोग थे।

❖ केवल कानूनी अधिकार देना पर्याप्त नहीं था।

❖ गरीबों को रोजगार और जीवन-यापन के साधन चाहिए थे।

❖ उन्हें सभा, संगठन और अन्य नागरिक स्वतंत्रताओं का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए।

❖ संविधान को ऐसी परिस्थितियाँ बनानी थीं जहाँ लोग अपने अधिकारों का प्रभावी उपयोग कर सकें।

❖ जरूरतमंदों को "सहारे" और आगे बढ़ने के अवसर चाहिए थे।

❖ ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा
दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से
प्रयोग कर सके।

❖ "उन्हें सहारों की जरूरत है। उन्हें एक सीढ़ी
चाहिए।"



उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए आदिवासी
नेता जयपाल सिंह ने कहा था -

महोदय अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह
है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, तो
वह मेरा समूह है।

❖ जयपाल सिंह ने आदिवासियों को सुरक्षा तथा उन्हें
आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी
परिस्थितियां रचने की आवश्यकता पर सुंदर
व्यक्त्य दिया।

➤ उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वे रहते थे।

➤ उन्हें जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया।

➤ उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें घृणा की नजर से देखता है।



जयपाल सिंह - "उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है।"

"हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए। हम आप के साथ मेलजोल चाहते हैं।"

❖ उन्होंने विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की मांग की।

"हमें हजारों साल तक दबाया गया है"

- ❖ अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी।
- ❖ गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे समाज में स्थायी विभाजन हो सकता था।
- ❖ दलितों को लंबे समय से सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा।
- ❖ इसलिए उनके अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी था।

संविधान सभा ने सुझाव दिया कि-

- ❖ अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाये।
- ❖ हिन्दू मन्दिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाये।
- ❖ और निचली जातियों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाये।



राज्य ↑
केन्द्र ↓

- ❖ संविधान में भारत को "राज्यों का संघ" कहा गया है।
- ❖ संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए।

एकात्मक व्यवस्था	संघात्मक शासन व्यवस्था
जहां शासन सत्ता एक ही केन्द्र में निहित होती है।	संविधान के द्वारा केन्द्र व उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है।
एकल नागरिकता होती है।	दोहरी नागरिकता होती है।

राज्य ↑ 4/5

केन्द्र

के संयान्तम

पटेल

BR अम्बेडकर

सूची (कानून)

① केन्द्र → ✓

रक्षा ✓

② राज्य → पुलिस

③ समवर्ती → शिक्षा

❖ जवाहर लाल नेहरू और संविधान सभा के कई सदस्य शक्तिशाली केन्द्र के पक्ष में थे।

❖ संविधान में विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया था -

1. **केन्द्रीय सूची** :- इसमें शामिल विषय केन्द्र सरकार के अधीन होते थे।

2. **राज्य सूची** :- इसमें शामिल विषय राज्य सरकारों के अधीन होते थे।

3. **समवर्ती सूची** :- इसमें शामिल विषयों पर केन्द्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती थीं।

भारत में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है:-

- ❖ अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केन्द्रीय नियंत्रण में रखा गया है।
- ❖ स्वनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केन्द्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया।
- ❖ अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है।

❖ सीमा शुल्क और कम्पनी कर की आय केंद्र सरकार को मिली।

❖ आयकर व आबकारी कर की आय केंद्र और राज्यों में बाँटी गई।

❖ राज्यों को कुछ कर लगाने का अधिकार भी मिला।

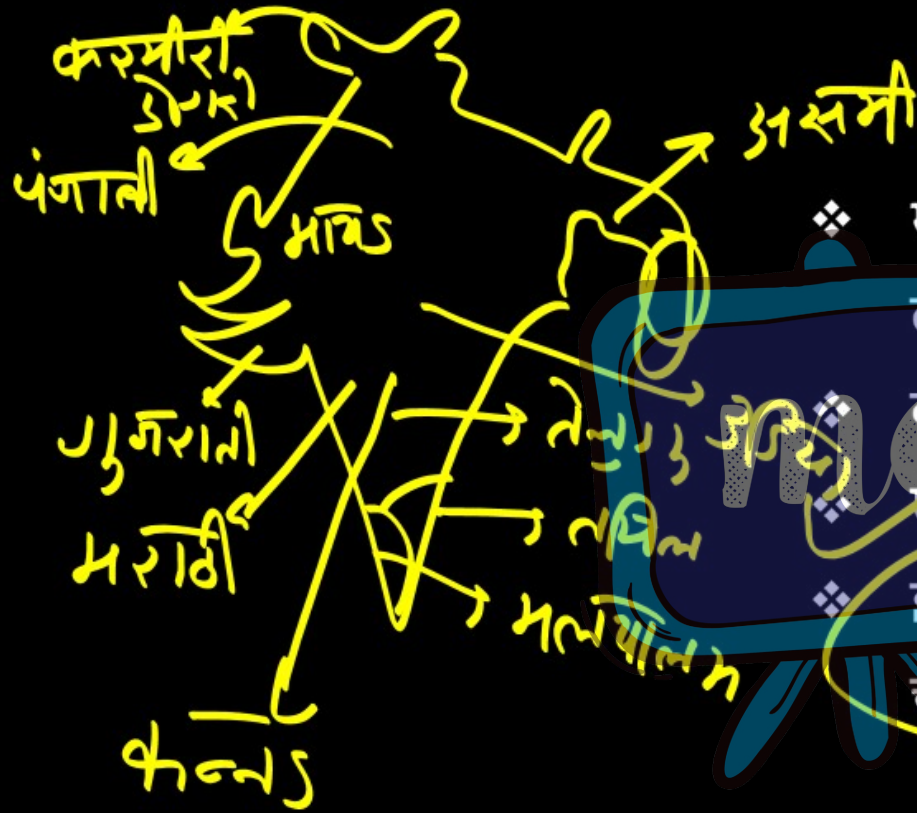
❖ जैसे: भूमि/संपत्ति कर, बिक्री कर और शराब पर कर।

केन्द्र बिखर जायेगा

- ❖ संथानम ने राज्यों के अधिकारों का समर्थन किया।
- ❖ केंद्र पर ज्यादा जिम्मेदारियाँ न हों।
- ❖ कुछ दायित्व राज्यों को दिए जाएँ।
- ❖ ज्यादातर कर केंद्र के पास थे।
- ❖ धन की कमी से राज्यों का विकास रुक सकता था।
- ❖ भू-राजस्व छोड़कर अधिकतर कर केंद्र के पास थे।
- ❖ इससे राज्यों के पास धन की कमी हो सकती थी।
- ❖ धन के बिना विकास परियोजनाएँ चलाना कठिन था।

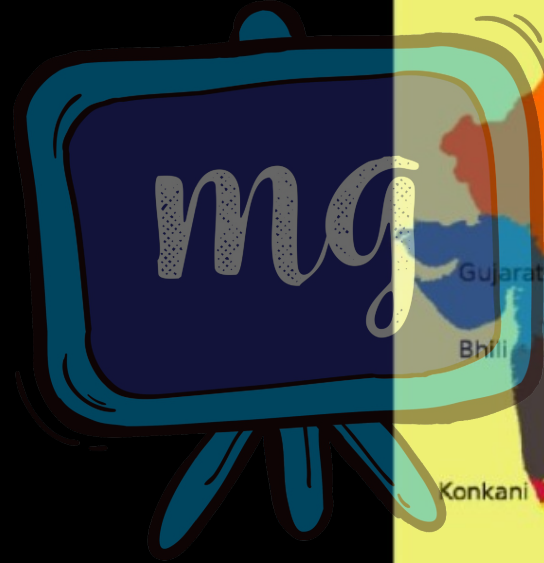
आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है

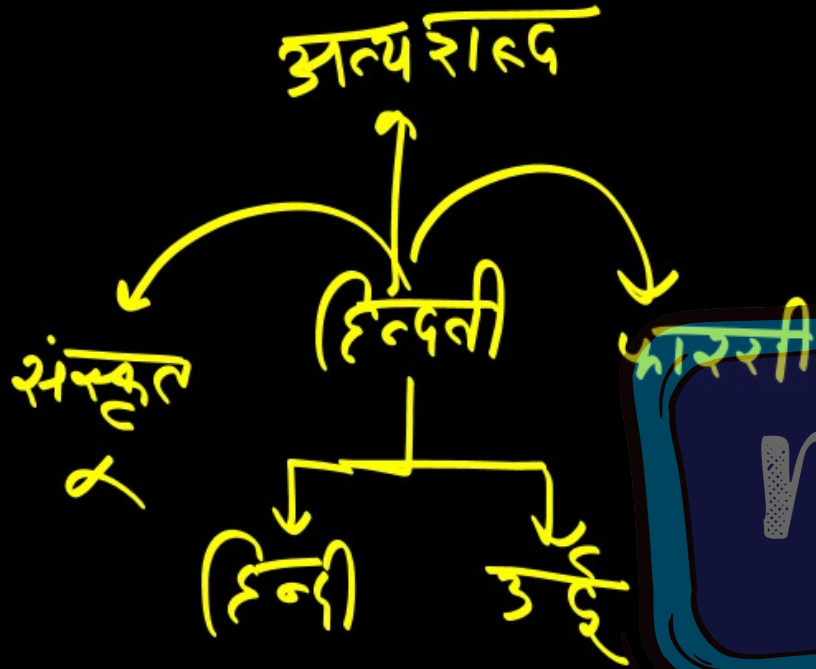
- ❖ कई सदस्य मजबूत केंद्र के पक्ष में थे।
- ❖ अम्बेडकर ने “शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र” का समर्थन किया।
- ❖ सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए केंद्र को मजबूत माना गया।
- ❖ गोपाल स्वामी अय्यर ने भी मजबूत केंद्र की मांग की।
- ❖ बालकृष्ण शर्मा के अनुसार मजबूत केंद्र योजना, संसाधन, शासन और सुरक्षा के लिए जरूरी था।
- ❖ इसलिए केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनाया गया।



राष्ट्र की भाषा

- ❖ भारत एक विशाल देश है, देश के विभिन्न भागों में लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं।
- ❖ काफी लोग एक-दूसरे की भाषा भी नहीं समझते। ऐसी स्थिति में देश की राष्ट्रभाषा क्या हो ?
- ❖ इस मुद्दे पर संविधान सभा में कई दिनों तक बहस चली, कई बार काफी तनातनी भी पैदा हो गयी।





❖ महात्मा गाँधी जी का मानना था कि हरेक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें।

❖ हिन्दी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय लोगों द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाती थी।

❖ गाँधी जी को लगता था कि यह भाषा हिन्दू और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है।

- ❖ लेकिन उन्सवीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी धीरे-धीरे बदल रही थी।
- ❖ जैसे-जैसे साम्प्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होती जा रही थी।
- ❖ नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई।

हिन्दी की हिमायत

आर. वी. घुलेकर – संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य थे।

हिन्दी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

❖ लेकिन संविधान सभा के सभी सदस्य हिन्दी नहीं समझते थे।

इस सदन में जो लोग हिन्दुस्तानी नहीं जानते वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं। उन्हें चले जाना चाहिए।

संविधान सभा की भाषा समिति की रिपोर्ट

- ❖ राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों की बीच पैदा हुए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला पेश किया।
 - देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भारत की राजकीय भाषा होगी।
 - पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा।
 - प्रत्येक प्रान्त को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा।

❖ संविधान सभा ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा की बजाय
राजभाषा कहकर सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने
का प्रयास किया था।

❖ लेकिन आर.वी. धुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा
से राजी होने वाले नहीं थे।

❖ वे चाहते थे कि हिन्दी को राजभाषा नहीं बल्कि
राष्ट्रभाषा घोषित किया जाये।

वर्चस्व का भय

श्रीमती जी. दुर्गाबाई - मद्रास

- ❖ दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है।
- ❖ "विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है....."



राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए?

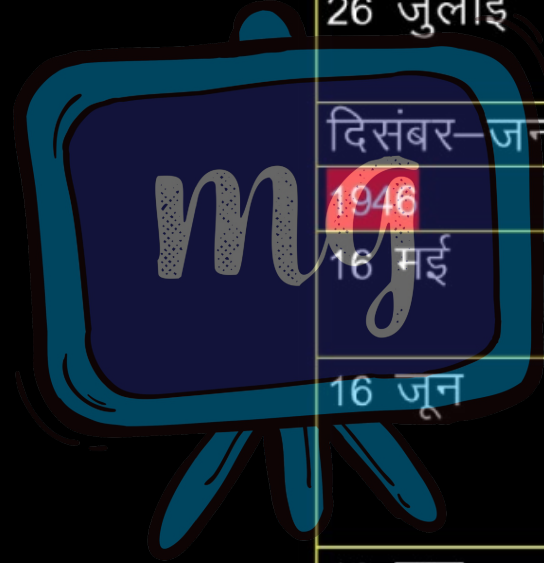
अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गाँधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था :

यह हिंदुस्तानी न तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फ़ारसीनिष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुलमिल सकते हैं।



इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्ति दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बाँध लेना देशभक्ति की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा।

हरिजन सेवक, 12 अक्टूबर 1947

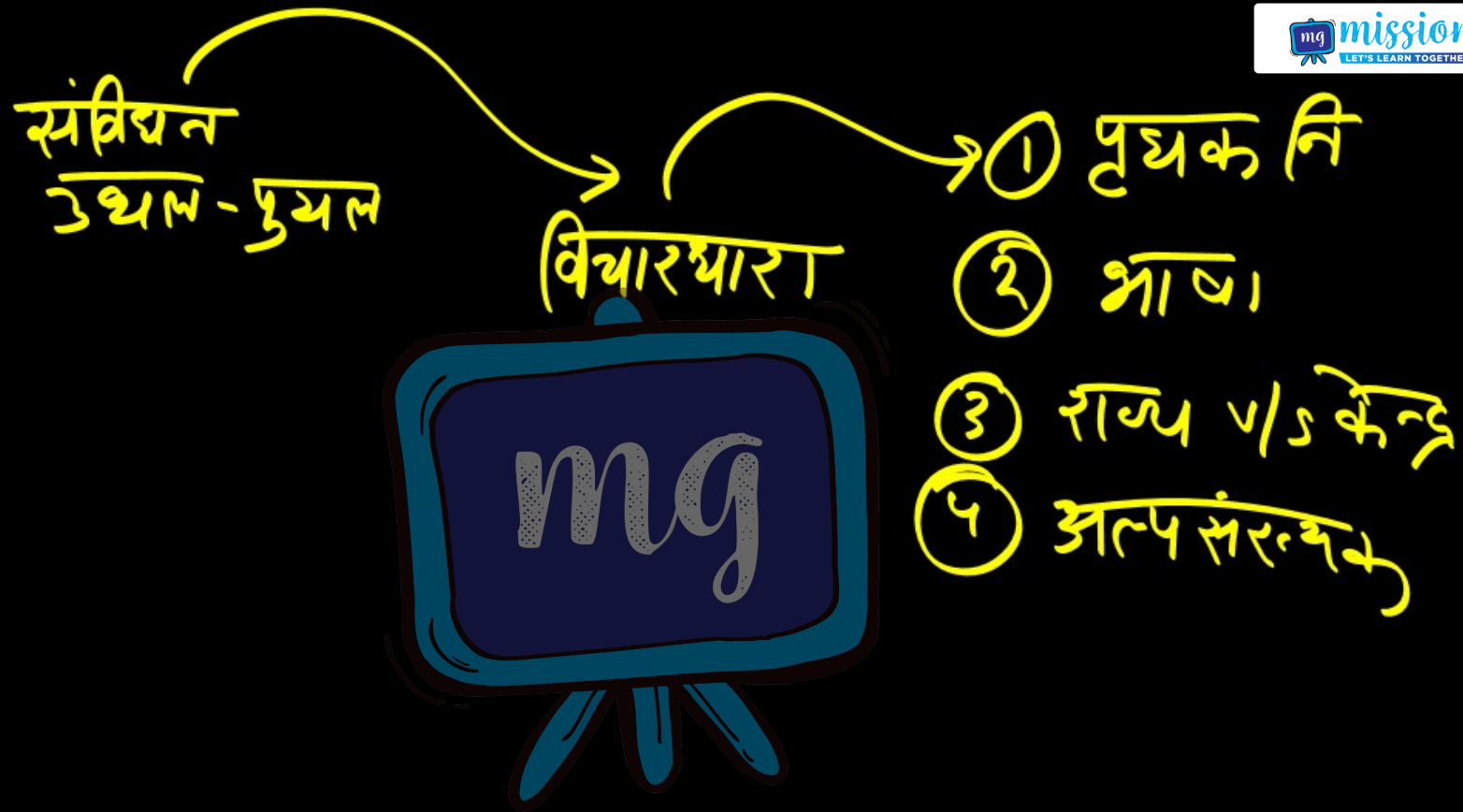


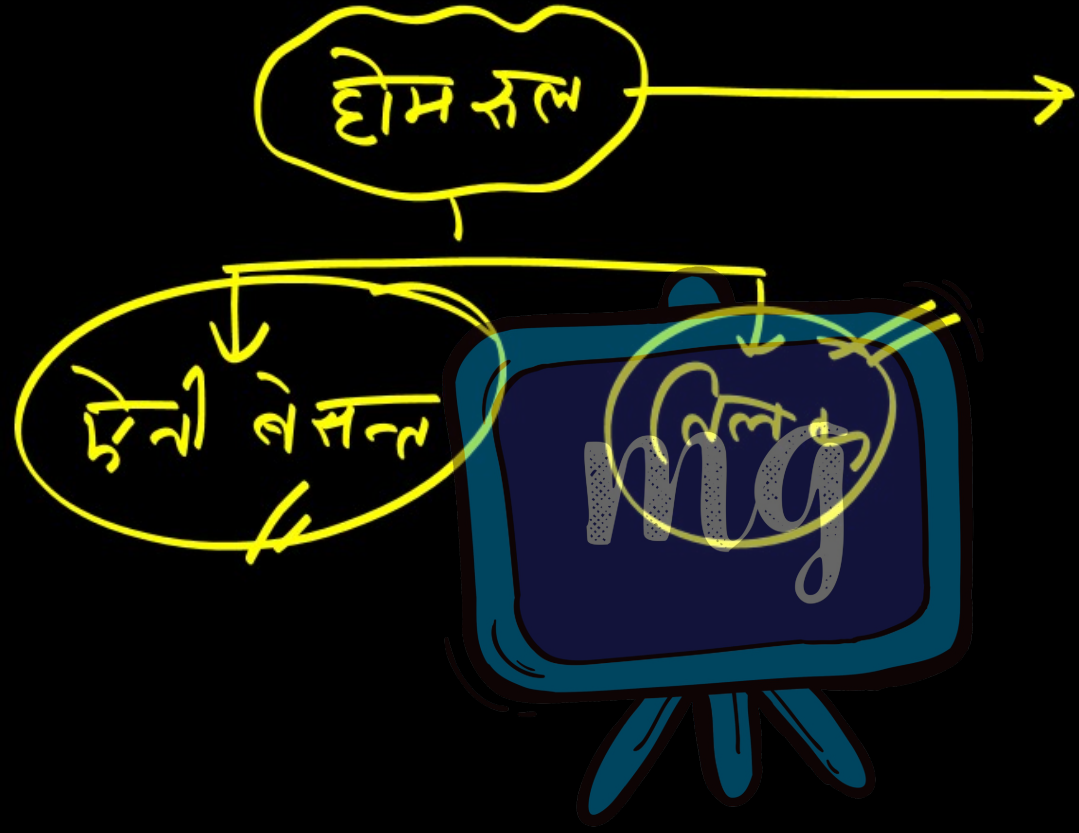
काल रेखा	
1945	
26 जुलाई	ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है।
दिसंबर-जनवरी	भारत में आम चुनाव
1946	
16 मई	कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषण करती है।
16 जून	मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है।
16 जून	कैबिनेट मिशन केन्द्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है।



काल रेखा	
1946	
2 सितंबर	कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है।
13 अक्टूबर	मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है।
3-6 दिसंबर	ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकलता।
9 दिसंबर	संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं।









काल रेखा	
1947	
29 जनवरी	मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है।
16 जुलाई	अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक
11 अगस्त	जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है।
14 अगस्त	पाकिस्तान की स्वतंत्रता : कराची में जश्न
14-15 अगस्त मध्यरात्रि	भारत में स्वतंत्रता का जश्न
1949	
दिसंबर	संविधान पर हस्ताक्षर